तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील में जारी हुये
10.11.20	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही। वकील वादी कोई साक्ष्य पेश करना नही चाहते है। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र में अंकित तथ्यो को दुहराया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस सुनने एंव पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से दिनांक 14.06.2019 को एक प्रार्थना पत्र जो श्रीमान जिला कलक्टर महोदय धौलपुर को सम्बोधित है इस आशय का पेश किया है कि नाला निर्माण कार्य को वर्तमान में पूर्ण रूप से रूकवा दिया है परिवादी की सहमति के उपरान्त ही कार्य प्रारंम्भ किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जवाब अप्रार्थीगण की ओर से पेश नही किया है। वादी की ओर से वादपत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 ग्राम लुहारी पेश की है जिसके अनुसार विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी की आराजी है। अतः दावा वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण की खातेदारी की विवादित आराजी ख.नं. 756/1528, 757 व 756 वाके ग्राम लुहारी तहसील व जिला धौलपुर में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करें। विवादित आराजी से लगती हुई आराजी पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पैमाईश उपरान्त वादीगण की खातेदारी की आराजी को छोडते हुए ही किया जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्डाधिकारी धौलपुर (राज)	

Scanned with CamScanner